आदेश की कम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई मे टिप्पणी तारीख के साथ
	शस्त्र वाद सं 74/14	
9/12/2014	**सारण समाहरणालय, छपरा।** **न्यायालय जिला दंडाधिकारी, सारण, छपरा।** **जिला विधि प्रशाखा** **विमलेश कुमार गौतम, पिता–श्री जयप्रकाश चौबे, सा0–मुजौना, थाना–परसा, जिला–सारण** **आदेश** प्रस्तुत शस्त्रवाद पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 3010/गो0 10.9.12 के द्वारा आवेदक विमलेश कुमार गौतम, पिता–श्री जयप्रकाश चौबे, सा0–मुजौना, थाना–परसा, जिला–सारण का रिवाल्वर/पिस्टल की अनुज्ञप्ति हेतु आवेदन पत्र के साथ प्राप्त पुलिस जाँच के उपरान्त आरम्भ किया गया है। दिनांक 24.7.14 को आवेदक की उपस्थिति में सुनवाई की गयी। आवेदक के द्वारा अपना पक्ष प्रस्तुत करते हुए बतलाया गया कि इनके पास अपना एक जे.सी.बी. एवं दो पोकलेन है। इसके व्यापार हेतु उन्हें अक्सर आवागमन करना पड़ता है। साथ ही इनका गाँव मुजौना है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। अपनी जान–माल की सुरक्षा के लिए इनके द्वारा शस्त्र की अनुज्ञप्ति निर्गत करने का अनुरोध किया गया है। आवेदक के द्वारा दिए गए आवेदन को जाँचोपरान्त थानाध्यक्ष, परसा के प्रतिवेदन एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 3010/गो0 दिनांक 10.9.12 के द्वारा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया गया। पुलिस प्रतिवेदन में आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका से संबंधित प्रतिवेदन को न पाकर इस कार्यालय के पत्रांक 903 दिनांक 26.8.14 के द्वारा पुलिस अधीक्षक, सारण से प्रतिवेदन की माँग की गयी। पुलिस अधीक्षक, सारण के पत्रांक 4321/गो0 दिनांक 13.10.14 के द्वारा थानाध्यक्ष, परसा के पत्रांक डी.आर. 509 दिनांक 11.9.14 को संलग्न कर प्रेषित किया	

गया है, जिसके अनुसार आवेदक के पास अपना एक जे.सी.बी. एवं दो पोकलेन है। इसके व्यापार हेतु उन्हें अक्सर आवागमन करना पड़ता है। साथ ही इनका गॉव मुजौना है, जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। कभी भी इन पर जानलेवा हमला हो सकता है।

अभिलेख में रक्षित कागजातों के परिसीलनोपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस प्रतिवेदन के अनुसार आवेदक के जानमाल पर खतरे की आशंका की वजह से शस्त्र की अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा की गयी है। आवेदक के उपर खतरे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार आवेदक के कथन थानाध्यक्ष, परसा एवं पुलिस अधीक्षक, सारण के प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर आवेदक के जानमाल की सुरक्षा के लिए शस्त्र अधिनियम की धारा 13 (2–ए) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्रांक V-11016/16/2009-Arms dated 31-3-2010 जो गृह आरक्षी विभाग, बिहार सरकार के ज्ञापांक 3026 दिनांक 13.4.2010 के द्वारा प्राप्त है, के आलोक में आवेदक विमलेश कुमार गौतम, पिता–श्री जयप्रकाश चौबे, सा0–मुजौना, थाना–परसा, जिला–सारण को सम्पूर्ण विहार क्षेत्र में तैधता के साथ एक रिवाल्वर की अनुज्ञप्ति की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

वाद निष्पादित।

लेखापित एवं संशोधित

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

जिला दण्डाधिकारी
सारण, छपरा।

ज्ञापांक 1049 दिनांक 12/12/14

प्रतिलिपिः–पुलिस अधीक्षक,सारण,छपरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः–जिला शस्त्र दण्डाधिकारी, सारण,छपरा को अभिलेख मूल में संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः– जिला सूचना एवं विज्ञान पदाधिकारी, एन0आई0सी0,सारण,छपरा को इस जिले के वेबसाइट पर उक्त आदेश को निदेशानुसार अपलोड करने हेतु प्रेषित।

वरीय उप समाहर्ता
जिला विधि शाखा,सारण,छपरा।
12/12/14